न्यायालय सिविल जज (जू0डि0)/न्यायिक मजिस्ट्रेट बिधूना, औरैया।

प्रतिभू प्रार्थना पत्र सं0— /2023

CNR.No.UPAU

राज्य बनाम रविन्द्र आदि।

मुकदमा सं0—1002/2023
मु0अ0सं0—278/2022
धारा—323,452,506 भा0दं0सं0
थाना—बिधूना, औरैया

दिनांक—12.07.2023

अभियुक्तगण रविन्द्र कुमार पुत्र जगन्नाथ व श्रीकान्त उर्फ अजय पुत्र बुद्धालाल की ओर से मु0अ0सं0—278/2022, अन्तर्गत धारा—323,452,506 भा0दं0सं0 थाना बिधूना, जिला औरैया के प्रकरण में जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। अभियुक्तगण आत्मसमर्पण कर न्यायिक अभिरक्षा में निरूद्ध है।

प्रार्थीगण/अभियुक्तगण का कथन है कि प्रार्थीगण ने कोई अपराध कारित नहीं किया है। उक्त मामले में प्रार्थीगण को झूठा व रंजिशन फसाया गया है, वह कतई निर्दोष हैं। प्रार्थीगण अपनी प्रतिभू देने को तैयार हैं। प्रार्थीगण प्रतिभू का दुरूपयोग नहीं करेंगे और अदालत हाजिर आते रहेंगे। अतः प्रार्थना है कि प्रार्थीगण को दौरान मुकदमा विचारण उचित प्रतिभू पर रिहा किये जाने की कृपा करें।

विद्वान सहायक अभियोजन अधिकारी आख्यानुसार मु0अ0सं0—278/2022 धारा—323,452,506 भा0दं0सं0 थाना बिधूना से सम्बन्धित अभियुक्तगण रविन्द्र व श्रीकान्त न्यायिक अभिरक्षा में निरूद्ध है। अपराध अजमानतीय है। जमानत का विरोध किया जाता है।

सुना एवं पत्रावली पर उपलब्ध प्रपत्रों का अवलोकन किया।

पत्रावली पर उपलब्ध प्रपत्रों के अवलोकन से विदित है कि अभियुक्तगण पर वादिनी मुकदमा के घर में घुसकर उसके साथ मारपीट करने तथा जान से मारने की धमकी का आरोप है। प्रस्तुत प्ररकण में आरोप पत्र प्रेषित किया जा चुका है। अभियुक्तगण ने न्यायालय में स्वयं उपस्थित होकर आत्मसमर्पण किया है। अतः मामले के तथ्य एवं परिस्थितियों को देखते हुए, बिना गुण दोष पर टिप्पणी किये, अभियुक्तगण को जमानत पर रिहा किये जाने का आधार पर्याप्त है।

आदेश

अभियुक्तगण रविन्द्र कुमार पुत्र जगन्नाथ व श्रीकान्त उर्फ अजय पुत्र बुद्धालाल की ओर से मु0अ0सं0—278/2022, अन्तर्गत धारा—323,452,506 भा0दं0सं0 थाना बिधूना, जिला औरैया के प्रकरण में प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र इस आशय से स्वीकार किया जाता है कि वह भविष्य में नियत तिथि पर न्यायालय के समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहेंगे। प्रत्येक अभियुक्त द्वारा 25,000/—रूपये की दो—दो जमानतें एवं समान धनराशि का एक—एक व्यक्तिगत बंधपत्र प्रस्तुत करने पर दौरान मुकदमा जमानत पर मुक्त किये जायें।

(वन्दना—प्रथम)
सिविल जज (जू0डि0)/न्यायिक मजिस्ट्रेट
बिधूना, औरैया।
J.O. Code : UP2624

Digitally signed by Vandana
Date: 2023.07.12 17:28:16 IST
Reason: Order
Location: CJJD Bidhuna